

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014—श्रावण 3, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. डी-15-15-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4890-12087-XIV-1, दिनांक 26-7-1967 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति बिछिया के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती हैः—

स्थान

ग्राम पंचायत घुघरी, तहसील घुघरी, जिला मण्डला के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.150 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

| क्रमांक (1) | खसरा क्रमांक (2) | क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 72 | 0.300 |
| 2 | 92 | 0.070 |
| 3 | 93 | 1.330 |
| 4 | 94 | 0.230 |
| 5 | 97 | 0.060 |
| 6 | 98 | 0.160 |
| कुल योग . . | | 2.150 |

जिसकी सीमाएँ

उत्तर में—श्रीमती रामकली की भूमि.

दक्षिण में—श्री खुशीलाल की भूमि.

पूर्व में—श्रीमती शंकरी बाई की भूमि.

पश्चिम में—ग्राम ग्वारा सरहदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. डी-15-15-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2014

No. D-15-15-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Bichhia has been established by this department's Notification No. 4890-12087-XIV-1, dated 26-7-1967 shall be Sub market yard namely:—

PLACE

An area of 2.150 Hector land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Ghughari in Tehsil Ghughari of District Mandla:—

| S. No. | Khasra No. | Area (In Hector) |
|-----------|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 72 | 0.300 |
| 2 | 92 | 0.070 |
| 3 | 93 | 1.330 |
| 4 | 94 | 0.230 |
| 5 | 97 | 0.060 |
| 6 | 98 | 0.160 |
| Total . . | | 2.150 |

BOUNDED BY

On the North by—Land of Smt. Ramkali.

On the South by—Land of Shri Khusilal.

On the East by—Land of Smt. Shankri Bai.

On the West by—Sarhadi of Gram Gwara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPHATI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. डी-15-15-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4890-12087-XIV-1, दिनांक 26-7-1967 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति बिछिया के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमण्डी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत घुघरी, तहसील घुघरी, जिला मण्डला की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उपमण्डी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ
क्षेत्रः—

- (1) घघरी, (2) छतरपुर, (3) कन्डरा, (4) गजराज, (5) पीपरदौन, (6) बनेहरी, (7) मांगा, (8) ग्वारा, (9) टिकरिया,
(10) झिगरघटा, (11) खम्हरिया, (12) सैलवारा, (13) लाटो, (14) खमतरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. डी-15-15-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2014

No. D-15-15-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department notification number 4890/12087/XIV-1, dated 26-7-1967 the following area of Bichhia of district Mandla shall be sub market yard namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Ghughari in Tehsil Ghughari of District Mandla.
(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub market yard namely:—
(1) Ghughari, (2) Chhatarpur, (3) Kandra, (4) Gajraj, (5) Peepardoun, (6) Banehari, (7) Maanga, (8) Gwara, (9) Tikaria, (10) Ghigarghata, (11) Khamharia, (12) Shailwara, (13) Laato, (14) Khamtara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.